कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांकः–04/2017 विविध/अभ्यावेदन/ दिनांक 27.10.2017

–: आदेश :–

श्री विनोद कुमार शर्मा तत्कालीन पटवार मण्ड़ल मोरवन तहसील डूंगला जिला चितौड़गढ हाल पटवारी तहसील चितौड़गढ़ द्वारा वर्ष 2014–15 के वार्षिक कार्य मुल्याकंन में समीक्षक प्राधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी) डूंगला ने कार्मिक द्वारा यूनियन बाजी द्वारा बढ़चढ़ कर हिस्सा लेना, मुख्यालय पर निवास नहीं करना एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों व राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं में अभाव पाये जाने से ''असन्तोषप्रद'' की टिप्पणी अंकित किये जाने से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

इस अभ्यावेदन प्राप्त होने के उपरान्त जिला कलक्टर, चितौड़गढ से श्री विनोद कुमार शर्मा पटवारी के वार्षिक कार्य मुल्याकंन प्रतिवेदन मय टिप्पणी के प्राप्त किये जाकर अभ्यावेदनकर्ता की दिनांक 16–10–2017 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उसे सुना गया। श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि प्रतिवेदक अधिकारी तहसीलदार डूंगला द्वारा कार्य के बारे में वार्षिक कार्य मूल्यांकन में कार्य सन्तोषप्रद होने की प्रविष्टि की है। समीक्षक अधिकारी, उपखण्ड़ अधिकारी (वारसिंह) डूंगला द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के अंकन के क्रम में मुझ कार्मिक को कभी कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी जबकि समीक्षक अधिकारी स्वयं ने अपने निरीक्षण दिनांक 29.10.2014 में मुख्यालय पर निवास करना अंकित किया है। उक्त कार्य अवधि में उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा मेरे पदस्थापित पटवार मण्ड़ल पर 2–3 बार निरीक्षण किये गये जिसमें कार्य संतोषप्रद नहीं होने बाबत कोई अंकन नहीं किया है। उक्त अवधि से पूर्व मेरे पिछले सेवा काल में सभी अधिकारी महोदय द्वारा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में गुड/अच्छा/ सन्तोषप्रद अंकन किया गया है। स्वीकारकर्ता प्राधिकारी ने बिना व्यक्तिगत सुनवाई के रुटिन में हस्ताक्षर से उपखण्ड़ अधिकारी की टिप्पणी से सहमत होना अंकन किया है। ऐसी स्थिति में मुझ प्रार्थी कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन वर्ष 2014–15 में प्रतिकूल प्रविष्टि साबित होने का कोई आधार सबूत नहीं होने से उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि निरस्त फरमाई जावे।

हमने श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्ड़ल मोरवन तहसील डूंगला जिला चितौड़गढ हाल पटवारी तहसील चितौड़गढ़ की व्यक्तिगत सुनवाई पर मनन किया तथा उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य मूल्यांकन वर्ष 2009–10, 2011–12, 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 की प्रतियां सूचना का अधिकार में प्राप्त कर सबूत के तौर पर

पेश की गई है, जिसमें अधिकारियों द्वारा अच्छा एवं संतोषप्रद टिप्पणी का अंकन किया गया है। तत्कालीन जिला कलक्टर चितौड़गढ द्वारा दिनांक 22.03.2017 को समीक्षक अधिकारी की प्रतिकूल टिप्पणी के बारे में पटवारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य मूल्यांकन वर्ष 2014–15 में समीक्षक अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी) डूंगला की टिप्पणी से सहमत होना जाहिर किया गया। किन्तु अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को सुना नहीं गया तथा समीक्षक अधिकारी द्वारा टिप्पणी अंकित करते हुए कार्य ''असन्तोषप्रद'' होना दर्शाना नियमानुसार उचित प्रतीत नही होता है।

अतः श्री विनोद कुमार शर्मा तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्ड़ल मोरवन तहसील डूंगला जिला चितौड़गढ हाल पटवारी तहसील चितौड़गढ़ के वर्ष 2014–15 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन में तहसीलदार डूंगला द्वारा ''संतोषप्रद'' का अंकन किया गया है। जबकि समीक्षक अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) डूंगला द्वारा ''असंतोषप्रद'' होने की प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है। जो स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा भी बिना नोटिस एवं व्यक्तिगत सुनवाई के समीक्षक अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी) डूंगला की टिप्पणी से सहमत होना अंकन किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अभ्यावेदनकर्ता को बिना नोटिस एवं सुनवाई के प्रतिकूल प्रविष्टि किया जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री शर्मा के वर्ष 2014–15 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन में तहसीलदार डूंगला की प्रविष्टि को यथावत रखते हुए समीक्षक प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) डूंगला एवं स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल प्रविष्टि निरस्त की जाती है।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

क्रमांकः–रीडर/ए.सी..आर./2015/ दिनांकः–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01– जिला कलक्टर, चितौड़गढ।

02– श्री विनोद कुमार शर्मा तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्ड़ल मोरवन तहसील डूंगला जिला चितौड़गढ हाल पटवारी तहसील चितौड़गढ

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर